

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-3

संख्या- 11/2017/898/एक-3-2017-4(7)2004

लखनऊ: दिनांक: 30 जून,2017

कार्यालय-जाप

उत्तर प्रदेश सचिवालय के राजस्व सचिव शाखा में कार्यरत श्री श्याम देव राम, अनुसेवक अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 30-06-2017 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 30-06-2017 को उनके अवकाश लेखे में कुल 300 दिनों का उपार्जित अवकाश देय है। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-सा-4-1327/दस-200/77, दिनांक 18 जून,1979 के साथ पठित शासनादेश संख्या-4-1283/दस-200/83, दिनांक 17-09-1988 तथा शासनादेश संख्या-सा-4-393/दस-99-200/88,दिनांक 01-07-1999 के अधीन श्री श्याम देव राम, अनुसेवक को उक्त 300 दिनों के देय अवशेष उपार्जित अवकाश के सापेक्ष नियमानुसार ग्राह्य अवकाश नकदीकरण वेतन के समतुल्य नकद धनराशि भुगतान किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त अवकाश नकदीकरण का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-62 लेखाशीर्षक-"2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्तक हित लाभ-आयोजनेत्तर-01-सिविल-115- छुट्टी नकदीकरण हित लाभ-03-सेवानिवृत्त के समय अवकाश का नकदीकरण-33-पेंशन/अनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ" के नामें डाला जायेगा।

रंजन कुमार

सचिव।

संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- अनुभाग अधिकारी, राजस्व लेखा अनुभाग को एक अतिरिक्त प्रति सहित।
- 4- श्री श्याम देव राम, अनुसेवक, राजस्व अनुभाग-4, 50प्र0 सचिवालय ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।